संख्या:2744/2017/ /12-2-2017-60(6)/2017 टीसी-5

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन की समय-सारणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26 जुलाई, 2017 को सम्पन्न बैठक में अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ एन0आई0सी0 मुख्यालय पर डाटा का वैलिडेशन करके जनपदों को पूर्ण सत्यापन हेतु प्रेषित करने और तदोपरान्त बैंक, वितरण की तिथि निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में उक्त बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 27 जुलाई, 2017 के क्रम में व्यवहारिक दृष्टिकोण के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत समय-सारणी निर्धारित की जाती है:-

| क्रमांक | कार्यवाही | समयावधि |
|---|---|---|
| 1 | एन0आई0सी0 द्वारा जिलों को वेलिडेटिड डाटा उपलब्ध कराना | 01 अगस्त, 2017 तक |
| 2 | जिला स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन पूर्ण करना | 08 अगस्त, 2017 तक |
| 3 | जिला स्तरीय समिति से सत्यापन उपरान्त पोर्टल पर अर्ह कृषकों संबंधी डाटा फीडिंग | 09 अगस्त, 2017 से 12 अगस्त, 2017 तक |
| 4 | अर्ह कृषकों की सूची का जिला स्तरीय समिति द्वारा डिजिटल लॉक करना | 13 अगस्त, 2017 से 15 अगस्त, 2017 तक |
| 5 | कृषि विभाग द्वारा धनराशि हस्तान्तरण | 16 अगस्त, 2017 से 20 |

| | | |
|---|---|---|
| | | अगस्त, 2017 तक |
| 6 | बैंकों द्वारा ऋणी खाते में धनराशि हस्तान्तरण एवं उक्त विषयगत प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना | 21 अगस्त से 23 अगस्त, 2017 तक |
| 7 | जिला स्तरीय कैम्प | सितम्बर, 2017 के प्रथम सप्ताह से |

2. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( रजनीश गुप्ता )

प्रमुख सचिव।

संख्या: 2144(1)/2017/ /12-2-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( पवन कुमार )

विशेष सचिव।